# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 306/2022

संकित निवासी वार्ड नं0 19, एचडीएफसी बैंक के पास, गायत्री मन्दिर के पास, झुंझुनूं, पिन कोड 333001, मो0न0 9413076120

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

## आदेश

**दिनांक 28.09.2022**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 306/2022 पर दिनांक 15.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4590—91 दिनांक 15.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/22/1228 दिनांक 20.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकित पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, झुंझुनूं का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से यह आंकलन नही किया जा सकता कि प्रार्थी इस कार्यालय स्तर से क्या सूचना चाहता है। उक्त क्रम मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/374 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से यह आंकलन नही किया जा सकता कि आप इस कार्यालय स्तर से क्या सूचना चाहते है। अतः आप स्पष्ट सूचना अंकित कर पुनः आवेदन करें ताकि आपके आवेदन पत्र पर आगामी कार्यवाही की जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/22/ 1228 दिनांक 20.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकित पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, झुंझुनूं का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से यह आंकलन नही किया जा सकता कि प्रार्थी इस कार्यालय स्तर से क्या सूचना चाहता है। उक्त क्रम मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/374 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से यह आंकलन नही किया जा सकता कि आप इस कार्यालय स्तर से क्या सूचना चाहते है। चूंकि आवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट एवं देय है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ), झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इस द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं